कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कमाक : शिविरा / प्रारं / शैक्षिक / सी–एफ / 4111 / शून्य नामांकन / एकीकरण / 2017 /   दिनांक : 18.12.2017

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त)

अति आवश्यक / आज ही

विषय : शून्य नामांकन वाले राजकीय विद्यालयों को समन्वित (मर्ज) करने के प्रस्ताव निदेशालय में आयोजित कैम्प दिनांक 21.10.2017 को प्रस्तुत करने बाबत ।

प्रसंग : माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय द्वारा निदेशालय में दिनांक 13.12.2017 को आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदत निर्देश ।

– – – – –

उपर्युक्त विषायान्तर्गत लेख है कि दिनांक 13.12.2017 को निदेशालय में आयोजित समीक्षा बैठक में माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हें कि प्रदेश में शून्य नामांकन वाले राजकीय विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से समन्वित (मर्ज) किया जाना है, अतः प्रस्ताव अविलम्ब तैयार कर शासन को भिजवाये जावे । शाला दर्शन पोर्टल से प्राप्त शून्य नामांकन वाले विद्यालयों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले से संबंधित विद्यालयों को समन्वित (मर्ज) करने के प्रस्ताव तैयार कर विज्ञ कार्मिक के साथ वाहक स्तर पर दिनांक 21.12.2017 (गुरूवार) को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावें । इस हेतु दिनांक 21.12.2017 को निदेशालय में प्रातः 10.00 बजे कैम्प रखा गया है । **समन्वयन (मर्ज) के प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्धारित प्रपत्र तथा दिशा–निर्देश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाये जा रहे है, जिनकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें ।**

माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय द्वारा प्रदत निर्देशों को गंभीरता से लिया जाकर प्रत्येक स्थिति में सूचना / प्रस्ताव निर्धारित दिनांक व समय पर इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करवावें अन्यथा आदेशों की अवहेलना में आपके विरूद्ध सीधे ही अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी जिसके लिये आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे । आपके प्रतिनिधि का यहॉ आकर सूचना / प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना अथवा अपूर्ण सूचना / प्रस्ताव देकर प्रस्थान करना भी आदेशों की अवहेलना माना जाएगा । अपने प्रतिनिधि को पाबंद करावें कि सूचना / प्रस्ताव पूर्ण होने पर ही संबंधित प्रभारी से अनुमति लेकर प्रस्थान करेंगे ।

संलग्न : समन्वयन (मर्ज) हेतु निर्धारित प्रपत्र
दिशा–निर्देशों की प्रति

18-12-17

उपनिदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा–राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) विशिष्ट सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय, शासन सचिवालय, जयपुर ।

(2) उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार उ पालना कार्यवाही हेतु अपने अधीनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद करावें ।

(3) निजी सचिव, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा ।

18-12-17

उपनिदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा–राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

राजकीय विद्यालयों को समन्वित (मर्ज) करने के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

(1) समन्वयन हेतु प्रस्ताव भाषा Kruti Dev 010 में फोंट 14 में लीगल पेपर पर प्रस्तुत उ किये जाने है ताकि सूचना/प्रस्ताव पूर्णतः सुपाठ्य हो । सुपाठ्य नहीं होने की स्थिति में प्रस्ताव वापस लौटा दिये जायेंगे ।

(2) इस पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में समन्वयन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने है, न तो किसी कॉलम को घटाया जाना है तथा न ही बढाया जाना है ।

(3) समन्वयन प्रस्ताव एक्सल में साफ्ट कॉपी में तथा पीडीएफ हार्ड कॉपी में प्रस्तुत करने है । प्रस्ताव की साफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी में हस्ताक्षर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की भिन्नता नही होनी चाहिए ।

(4) समन्वयन प्रस्तावों में पहले कॉलम में क्रम संख्या तथा दूसरे कॉलम में शाला दर्शन पोर्टल से प्राप्त सूची के अनुसार कम संख्या अंकित करावें ताकि उक्त सूची आपके प्रस्तावों में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं हो । इसके अतिरिक्त प्रेषित सूची के अतिरिक्त यदि कोई शून्य नामांकन वाला विद्यालय हो तो समन्वयन प्रस्तावों में अन्त में उसे भी सम्मिलित करावें ।

(5) शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को समन्वित करने हेतु दूरी की कोई सीमा नहीं है। अतः प्रस्ताव तैयार करते समय निकटतम विद्यालय (भले ही राजस्व ग्राम भिन्न हो) में समन्वयन प्रस्तावित करना है ।

(6) यदि किसी जिले की सूचना शून्य है, तो निर्धारित प्रपत्र में शून्य सूचना भरकर प्रपत्र अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध करवावें ।

www.rajteachers.com

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा

शून्य नामांकन वाले राजकीय विद्यालयों के प्रस्ताव

क्र.स.	शाला दर्शन पोर्टल की सूची के अनुसार कमांक	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	0 नामांकन वाले विद्यालय का विवरण			निकटतम विद्यालय का विवरण मय दूरी एवं नामांकन जिसमें 0नामांकन वाले विद्यालय को मर्ज किया जाना है					
					विधानसभा क्षेत्र	विद्यालय का नाम	यू डाइस कोड	विधानसभा क्षेत्र	विद्यालय का नाम	यू डाइस कोड	0 नामांकन वाले	नामांकन	
												1 से 5	6 से 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

www.rajteachers.com

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा